

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27102021-230754  
SG-DL-E-27102021-230754असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

|          |                                                   |                            |
|----------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| सं. 314] | दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943 | [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 228 |
| No. 314] | DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943  | [N. C. T. D. No. 228       |

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राजस्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2021

फा. सं. त. सहा. 34(392)/ना. सु./अपील/2020/4400.—नागरिक सुरक्षा अधिनियम-1968 (1968 का 27) की धारा II के खण्ड (च) के साथ पठित धारा 17 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली माननीय उप-राज्यपाल एतद्द्वारा मण्डलीय आयुक्त/निदेशक नागरिक सुरक्षा, दिल्ली को नागरिक सुरक्षा अधिनियम-1968 की धारा-7 से सम्बंधित अपीलों के निष्पादन हेतु अपीलीय प्राधिकारी प्राधिकृत करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

सोनालिका जीवानी, उपायुक्त-IV (मुख्यालय)

---

**REVENUE DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Delhi, the 26th October, 2021

**F. No. TA. 34 (392)/CD/Appeal/2020/4400.**—In exercise of the powers conferred under clause (a) of section 17 read with clause (f) of section 2 of the Civil Defence Act 1968 (27 of 1968), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to authorize the Divisional Commissioner/Director (Civil Defence) to perform the functions of Appellate Authority under section 7 of the Civil Defence Act, 1968 (27 of 1968).

By Order and in the Name of the Lt. Governor of  
the National Capital Territory of Delhi,

SONALIKA JIWANI, Dy. Commissioner-IV (HQ)